दलजीत सिंह ग्रेवाल

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 6532/2015)

21 अगस्त 2015

[वी.गोपाल गौड़ा और एस.ए.बोबडे, जे.जे.]

सेवा कानून - वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) - प्रतिकूल प्रविष्टि - प्रतिकूल कारणों से पदोन्नति से इनकार - माना गया: मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के प्रदर्शन को कम किया गया - प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रासंगिक अवधि के लिए अपने एसीआर में अधिकारी मान्य नहीं था क्योंकि यह बिना किसी अधिकार या क्षमता के किया गया था और दुर्भावनापूर्ण भी था - इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा पदोन्नति लाभ से इनकार करने का आदेश -वर्ष 2001-2002 के डिपार्टमेंटनेट को अलग रखा जा सकता है - प्रतिवादियों को अपीलकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उसे पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए काल्पनिक रूप से पदोन्नति पद दिया जा सके क्योंकि वह पहले ही समय से पहले सेवानिवृत्त हो चुका था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए माना:

1. पंजाब होम गार्ड क्लास- II नियम, 1988 के अनुसार, पदोन्नति पद पर नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जानी है। रिकॉर्ड में रखे गए एसीआर के अनुसार, अपीलकर्ता ने एसीआर में दर्ज सभी पहलुओं के संबंध में पत्र संख्या 4/6/2000-3 पीपीआई/13720 दिनांक 6.9.2001 के निर्देशों के अनुसार 14 अंक हासिल करके वरिष्ठता-सह-योग्यता की उपरोक्त आवश्यकता को पूरा किया है। . [पैरा 39] [553-8-डी]

2. 2000-2001 की अवधि के लिए एसीआर की समग्र ग्रेडिंग रिपोर्टिंग प्राधिकारी, समीक्षा प्राधिकारी और अंतिम स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर आधारित थी। प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा की गई प्रविष्टियों के अनुसार, वह स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गई समग्र ग्रेडिंग यानी "वह एक बहुत अच्छा और जिम्मेदार अधिकारी है" पर सहमत था। ऐसे में वह 'औसत अधिकारी' शब्द का प्रयोग कर एसीआर में समग्र ग्रेडिंग को कम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, यदि वर्ष 2000-2001 के लिए एसीआर पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 20.05.2004 को की गई टिप्पणियों में अपीलकर्ता को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति से इनकार करने के रुख को उचित ठहराया जा रहा है, तो स्पष्टीकरण उस तिथि, यानी 20.05.2004 से प्रभावी होना चाहिए। ऐसे मामले में, अपीलकर्ता को वर्ष 2003 के निर्देशों

के अनुसार 3 अंक दिए जाने थे, जब उसे पहली बार पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया गया था। [पैरा 37] [551-एफ-एच; 552-ए-बी]

3. 1999-2000 की अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अभ्यावेदन को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने सिविल सूट दायर करके इसे चुनौती दी थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाया गया था। सिविल वाद का फैसला अपीलकर्ता के पक्ष में सुनाया गया। अपीलकर्ता के पक्ष में पारित उक्त निर्णय और डिक्री को अंतिम निर्णय प्राप्त होने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा लागू नहीं किया गया है, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दर्शाता है कि नियमों के नियम 8(2) के तहत प्रदान किए गए अनुसार प्रतिवादी नंबर 4 को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करना उचित नहीं था। [पैरा 39] [552-जी-एच; 553-ए-बी]

4. रिकॉर्ड के अनुसार, अपीलकर्ता को वर्ष 2001-2002 के लिए ग्रेड 'ए+' दिया गया था, लेकिन केवल 1 अंक दिया गया था, जबकि कार्यकारी निर्देशों के अनुसार, ग्रेड 'ए+' को 4 अंक दिए जाने हैं। यदि अपीलकर्ता की एसीआर के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए होते, तो वर्ष 2003 में पदोन्नति के लिए विचार के समय उसे 12 अंक प्राप्त होते, जबकि स्वीकार्य रूप से, अपीलकर्ता को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नत होने के लिए केवल 10 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसलिए, यदि अपीलकर्ता

की एसीआर में विभिन्न पहलुओं पर उत्तरदाताओं द्वारा किए गए अंकों की गणना को सही माना जाता है, तो उसने आवश्यक बेंचमार्क भी हासिल कर लिया है। अपीलकर्ता के दावे को जानबूझकर नजरअंदाज करने में प्रतिवादी नंबर 4 की कार्रवाई कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि यह प्रासंगिक अवधि के लिए एसीआर के नियमों और रिकॉर्ड और राज्य सरकार द्वारा कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करने वाले निर्देशों के विपरीत है। [पैरा 40] [554-बी-ई]

5. 2003-2004 की अवधि के लिए एसीआर की प्रति का अवलोकन अपीलकर्ता के खिलाफ किए गए अन्याय की सच्ची तस्वीर दर्शाता है। एसीआर प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा लिखा गया है जो डिवीजनल कमांडेंट के रूप में रिपोर्टिंग अथॉरिटी था। वही अधिकारी डिप्टी कमांडेंट जनरल के रूप में समीक्षा प्राधिकारी भी थे। इसके अलावा, वही अधिकारी कमांडेंट जनरल के रूप में अंतिम स्वीकार्य प्राधिकारी भी बन गया। तथ्य यह है कि उक्त वर्ष में भी अपीलकर्ता के प्रदर्शन को 'औसत' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 1-4 के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है कि उसने जानबूझकर अपीलकर्ता को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया। यदि संबंधित अवधि के लिए एसीआर में इन अवैध डाउनग्रेडिंग प्रविष्टियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो अपीलकर्ता को 14 अंक प्राप्त होंगे, जबकि दिनांक 06.09.2001 के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित

बेंचमार्क के अनुसार पद पर पदोन्नति के लिए 12 अंक आवश्यक थे। [पैरा 38] [552-बी-एफ]

6. मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रासंगिक अवधि के लिए अपीलकर्ता के एसीआर में उसके प्रदर्शन को डाउनग्रेड करना वैध नहीं था क्योंकि यह बिना किसी अधिकार और क्षमता के किया गया था। एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों ने अपीलकर्ता को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति के अधिकार से वंचित कर दिया है और इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ एसीआर में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियां कानूनी और वैध नहीं हैं। [पैरा 37) [549-ई-जी]

7. अपीलकर्ता को प्रमोशनल लाभ से वंचित करने में प्रतिवादी नंबर 4 की कार्रवाई दुर्भावना से ग्रस्त है। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की कार्यवाही में, अपीलकर्ता के कनिष्ठ अधिकारी ने, जिसे प्रश्नगत पद पर पदोन्नत किया गया था, सभी उत्तरदाताओं की ओर से जवाब दाखिल किया था। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों का पता लगाते हुए लिखित बयान दाखिल न करना प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करता है। [पैरा 39] [553-डी-एफ]

8. सिविल रिट याचिका और समीक्षा आवेदन दोनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश और प्रतिवादी-विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 तक बटालियन कमांडर के पर पदोन्नति लाभ से इनकार

करने के आदेश को भी खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को अपीलकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है ताकि अपीलकर्ता को पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए बटालियन कमांडर का उच्च पद मिल सके क्योंकि वह 31.7.2007 को समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। [पैरा 42) [554-जी-एच;555-ए-सी]

सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ 2013 (9) एससीसी 566: 2013 (5) एससीआर 1004- पर भरोसा किया।

बलबीर सिंह बेदी बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2013) 11 एससीसी 746: 2013 (3) एससीआर 376; गुरदयाल सिंह फिजी बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1979 एससी 1622; देवदत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य। (2008) 8 एससीसी 725: 2008 (8) एससीआर 17 4 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

2013 (3) एससीआर 376 पैरा 19 को संदर्भित करता है

1979 एससी 1622 पैरा 27 का हवाला दिया गया

2008 (8) एससीआर 174 पैरा 33 को संदर्भित करता है

2013 (5) एससीआर 1004 26 पैरा 39 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6532/2015

सीडब्ल्यूपी संख्या 5643/2004 में 2013 के समीक्षा आवेदन संख्या 208 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 27.08.2013 से।

अपीलकर्ता की ओर से राकेश कुमार खन्ना, राजेश पूंज, देबाशीष मिश्रा, जेल में निरुद्ध।

प्रतिवादियों की ओर से निखिल नैय्यर, एएजी, कुलदीप सिंह।

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा 2004 की सिलजिल रिट याचिका संख्या 5643 में समीक्षा आवेदन संख्या 208/2013 (ओ एंड एम) में पारित दिनांक 27.08.2013 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिससे उच्च न्यायालय ने आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई और उसे खारिज कर दिया।

3.मामले के संक्षिप्त तथ्य नीचे उल्लिखित हैं:-

पंजाब होम गार्ड क्लास- II नियम, 1988 के तहत पंजाब पब्लिक: सर्विस कमीशन के माध्यम से चयनित होने के बाद अपीलकर्ता वर्ष 1993

में पंजाब होम गार्ड विभाग में जिला कमांडर के रूप में शामिल हुआ। अपीलकर्ता के काम की एडीजीपी, रेलवे ने सराहना की जब उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप रेलवे ट्रैक पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उनका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट माना जाता था। मौजूदा मामले में विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्हें 28.06.2000 को एक पत्र मिला, जिसमें 1.07.1999 से 31.03.2000 की अवधि के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में उनके प्रदर्शन को 'औसत' बताया गया था। डी.जी.पी-सह-कमांडेंट जनरल ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ लिखी थीं:

> "एक औसत दर्जे का अधिकारी, जिसका प्रदर्शन बमुश्किल संतोषजनक था। उसके अपने अधिकारी साज़िश रचते हैं और सीधे निराधार आरोप लगाते हैं। वह काम के इस माहौल को बदलने में सक्षम नहीं है।"

4. डिप्टी कमांडेंट जनरल-कम-डिप्टी डायरेक्टर, सिविल डिफेंस और डी.जी.पी.-कम-कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स और डायरेक्टर सिविल डिफेंस द्वारा उनके प्रदर्शन के उक्त मूल्यांकन के कारण अपीलकर्ता को दिनांक 07.07.2000 को यूजीपी सह कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स और निदेशक नागरिक सुरक्षा, पंजाब-प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष एक अभ्यावेदन देना पड़ा, जिसमें आपूर्ति का अनुरोध किया गया था। उन दस्तावेज़ों के आधार पर जिनके आचरण और परिश्रम को 'औसत' के रूप में वर्गीकृत किया गया

था। लेकिन उक्त दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए दिनांक 18.08.2000 और 25.08.2000 को अनुस्मारक अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद अपीलकर्ता को कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। 29.12.2000 को, कार्मिक विभाग, राज्य सरकार, पंजाब द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर पदोन्नति के लिए एक 'बेंचमार्क प्रणाली' शुरू की गई थी।

5. 15.03.2001 को, अपीलकर्ता ने सचिव, कार्मिक, पंजाब, सिविल सचिवालय-प्रतिवादी नंबर 3 को एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उनसे उक्त निर्देशों पर इस आधार पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं। . उन्होंने अभ्यावेदन में यह भी कहा कि एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए ताकि वे तदनुसार अपने काम में सुधार कर सकें। 07.05.2001 को, अपीलकर्ता को गृह और न्याय विभाग के अवर सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि सरकार को उनके दिनांक 18.08.2000 और 25.08.2000 के अभ्यावेदन पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।

6. अपीलकर्ता ने 31.05.2001 को तत्कालीन प्रमुख सचिव, गृह एवं न्याय विभाग को पुनः अभ्यावेदन देकर अनुरोध किया कि वर्ष 1999-

2000 के लिए उनकी एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाया जाए ताकि उन्हें बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जा सके।

7. 30.06.2001 को, अपीलकर्ता पंजाब होम गार्ड क्लास- I नियम, 1988 के अनुसार 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो गया, नियमों के नियम 8(2) में प्रावधान है कि 8 वर्ष का अनुभव रखने वाले जिला कमांडर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के हकदार हैं और कोई भी व्यक्ति अकेले वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है। :

8. अंततः, कई अभ्यावेदन देने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली, अपीलकर्ता ने वर्ष 1999-2000 के लिए अपने एसीआर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को चुनौती देते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष 2001 का सिविल सूट नंबर 70 दायर किया।

9. इस बीच, दिनांक 08.08.2001 को गैर-भाषी आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व खारिज कर दिया गया।

10. पत्र संख्या 4/6/2000-3PPI/13720 दिनांक 06.09.2001 द्वारा, सरकार ने अपने पहले के निर्देशों दिनांक 29.12.2000 को संशोधित किया, जिसके तहत ग्रुप-ए और ग्रुप-8 पदों पर पदोन्नति के लिए बेंचमार्क प्रणाली शुरू की गई थी, जिसे 18.12.2001 को पंजाब सरकार द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित किया गया था। क्लास-I और क्लास-II (ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी') पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की स्थापना करने का एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:-

" ..... ए ...

..... बी ...

रिक्तियों की संख्या	सामान्य क्षेत्र	विचार हेतु क्षेत्र एस.सी./एस.टी
1	5	5
2	8	10
3	10	15
4	12	20
	रिक्तियों की संख्या	रिक्तियों की 5 गुना

	दोगुनी प्लस 4	संख्या

XXX XXX XXX

(सी) दिनांक 29.12.2000 के निर्देशों में निहित एसीआर के मूल्यांकन की नंबरिंग प्रणाली को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है: -

असाधारण	4 अंक
बहुत अच्छा	3 अंक
अच्छा	2 अंक
औसत	1 अंक

पदोन्नति के लिए पिछले 5 वर्षों की एसीआर को ध्यान में रखा जाएगा। पदोन्नति के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

1 ....

2. विभागाध्यक्ष के अलावा समूह 'ए' में आने वाले पदों पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम बेंच मार्क कम से कम 12 अंकों के साथ वेरी गुड होगा। इस मानदंड को पूरा करने वालों में से, सुपरसेशन होगा।

3. समूह 'बी' में आने वाले पदों पर पदोन्नति के मामले में न्यूनतम बेंच मार्क "अच्छा" होगा और कोई अधिक्रमण नहीं होगा यानी पदोन्नति सख्ती से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी।

xxx xxx xxx "

11. दिनांक 15.03.2002 के निर्णय और आदेश द्वारा, सिविल जज, (सीनियर डिवीजन), पटियाला ने सिविल सूट संख्या 70/2001 में अपीलकर्ता के पक्ष में मुकदमा दायर किया। 01.04.1999 से 31.03.2000 की अवधि के लिए एसीआर में अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया और अपीलकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए गए।

12. चूंकि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ उत्तरदाताओं द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी, अपीलकर्ता ने दिनांक 08.05.2002 को प्रतिवेदन के माध्यम से उत्तरदाताओं से बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का अनुरोध किया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 10.05.2002 और 20.06.2002 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, अपीलकर्ता के पक्ष में पारित डिक्री को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

13. इस बीच, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 14.01.2003 को सीडब्ल्यूपी संख्या 4491/2001 और सीडब्ल्यूपी संख्या 11011/2001 (कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर) में एक आदेश पारित किया, जिन्होंने दिनांक 29.12.2000 के निर्देशों की अनदेखी करके याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के निर्देश दिनांक 29.12.2000 को भी चुनौती दी थी।

14. अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को 31.03.2003 और 09.04.2003 को दो और अभ्यावेदन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

15. एक बार फिर, यह पाया गया कि 01.04.2001 से 31.03.2002 की अवधि के लिए एसीआर में उनका प्रदर्शन 'औसत' दिखाया गया था, जिसे प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वर्गीकृत किया गया था, अपीलकर्ता ने 1999-2000 और 2001-2002 की अवधि के लिए अपने एसीआर को अपग्रेड करने के लिए 16.04.2003 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया क्योंकि उनके नियंत्रण अधिकारी यानी डिवीजन कमांडर ने उन्हें "ए" ग्रेड और समीक्षा प्राधिकरण से सम्मानित किया था। यानी डिप्टी कमांडेंट जनरल ने भी उन्हें "+ए" से सम्मानित किया, जिसकी प्रविष्टियां अंतिम प्राधिकारी यानी कमांडेंट जनरल, होम गार्डरेस्पोंडेंट नंबर 5 द्वारा स्वीकार की गईं। उन्होंने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें यह जानकर

आश्चर्य हुआ कि 2001-2002 की अवधि के लिए उनकी एसीआर को बिना कोई कारण बताए या सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा डाउनग्रेड कर दिया गया था। विभागीय प्रक्रिया, नियम एवं निर्देशों के अनुसार तत्कालीन प्रमुख सचिव, गृह, जिन्होंने अपीलकर्ता का कार्य एवं आचरण नहीं देखा है, उनकी एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि कर उनके कार्य निष्पादन को कम नहीं कर सकते थे। हालाँकि, उनके द्वारा दिए गए इस अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

16. दिनांक 06.09.2001 के निर्देश के अनुसार बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए कम से कम 12 अंक आवश्यक थे। अपीलकर्ता के पक्ष में सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री पारित होने के बाद भी उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया, जिसे जानबूझकर विभागीय पदोन्नति समिति (इसके बाद "डीपीसी") के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया। वर्ष 2001-2002 के लिए एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण, अपीलकर्ता इस बेंचमार्क से पीछे रह गया।

17. अपीलकर्ता ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा अपने पक्ष में पारित निर्णय और डिक्री को लागू करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को फिर से दिनांक 10.09.2003 और 15.09.2003 को अभ्यावेदन दिया और उनसे उसे बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नत करने का अनुरोध किया। उन्होंने 06.10.2003 को प्रतिवादियों को एक कानूनी नोटिस भी जारी

करवाया। उत्तरदाताओं ने जानबूझकर वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के लिए सुप्रा में संदर्भित निर्देशों और गैर-अपग्रेडेड एसीआर पर भरोसा करके अपीलकर्ता के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि मुकदमा उनके पक्ष में तय किया गया था।

18. 16.02.2004 को, अपीलकर्ता ने 2001-2002 की अवधि के लिए एसीआर को 'औसत' से 'उत्कृष्ट' में अपग्रेड करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को कानूनी नोटिस जारी किया।

19. बलबीर सिंह बेदी बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में राज्य सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा शुरू की गई बेंचमार्क पद्धति के संबंध में पदोन्नति और निर्देशों को रद्द करने पर विचार करने के लिए इसी तरह का मुद्दा उठा, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 29.12.2000 और 06.09.2001 के कार्यकारी निर्देशों की वैधता को बरकरार रखा, यह मानते हुए कि ये निर्देश इस न्यायालय द्वारा पदोन्नति और कैटेना मामलों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के मानदंडों के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के संहिताकरण के अलावा कुछ नहीं हैं।

20. अपीलकर्ता ने 11.03.2004 को प्रतिवादी संख्या 4 को एक शिकायत की और मांग की कि उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अपीलकर्ता के सेवा कैरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए एसीआर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे।

21. अंततः, अपीलकर्ता ने दिनांक 02.05.2003 और 30.01.2004 के निर्देशों और आदेशों की वैधता और वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी संख्या 5643/2004 दायर की। उक्त याचिका को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 02.04.2004 को खारिज कर दिया था।

22. इस बीच, अपीलकर्ता को आरटीआई अधिनियम के तहत कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जिनका उसके मामले की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के दिनांक 02.04.2004 के आदेश के विरुद्ध एसएलपी (सी) संख्या 14964/2004 दायर की। इस न्यायालय ने उक्त एसएलपी में छूट दे दी और इसे सिविल अपील संख्या 5192/2004 में परिवर्तित कर दिया गया और पूर्वोक्त संदर्भित बलबीर सिंह बेदी के मामले के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। मामला खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने की इस न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता दी गई थी।

23. उपरोक्त संदर्भित मामले में इस न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता दिए जाने के बाद अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दिनांक 02.04.2004 के आदेश को वापस लेने के लिए एक समीक्षा आवेदन संख्या 208/2013 दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने

समीक्षा आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर अपने आदेश दिनांक 27.08.2013 द्वारा इसे खारिज कर दिया। अपीलकर्ता के प्रदर्शन को 'औसत' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि हालाँकि यह स्पष्ट नहीं था कि 01.04.2001 से 31.03.2002 की अवधि के लिए एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में अपीलकर्ता को सूचित किया गया था या नहीं, फिर भी उनके अभ्यावेदन से यह स्पष्ट था कि रिपोर्ट की सामग्री उनके ज्ञान में थी और उन्होंने विशेष रूप से इसके डाउनग्रेडिंग के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रतिकूल एसी आर उसकी पीठ पीछे लगाए गए थे। इस तरह, वर्तमान अपील अपीलकर्ता को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति न देने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है, जबकि वह इसके लिए हकदार था और उसने रिट याचिका और समीक्षा याचिका में पारित फैसले और आदेशों को भी चुनौती दी थी।

24. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश कुमार खन्ना ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 5192/2004 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन न करके गलती की है, जिसमें इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त अतिरिक्त दस्तावेजों पर उच्च

न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने सिविल अपील संख्या 5192/2004 वापस ले ली और अपने द्वारा प्राप्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया ताकि उच्च न्यायालय उन पर विचार कर सके और उचित आदेश पारित कर सके।

25. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को प्रस्तुत दिनांक 16.04.2003 के अभ्यावेदन पर विचार करने में विफल रहा, जिसमें उन्होंने 2001 के सिविल-सूट नंबर 70 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 15.03.2002 को लागू करने का अनुरोध किया था।

26. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय को सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए इस न्यायालय के नवीनतम निर्णय पर विचार करना चाहिए था जिसमें यह माना गया था कि सभी एसीआर चाहे खराब हों, निष्पक्ष हों, औसत हों, अच्छे हों या बहुत अच्छे हों, संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर अवगत कराया जाना चाहिए ताकि यदि वह इससे व्यथित हो तो वह उचित कार्रवाई कर सके। एक ओर, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता को अपने एसीआर में डाउनग्रेडिंग के बारे में जानकारी

थी, वहीं यह भी देखा गया कि यह स्पष्ट नहीं था कि अपीलकर्ता को डाउनग्रेडिंग के बारे में सूचित किया गया था या नहीं।

27. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को गुरदयाल सिंह फिजी बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्धारित कानून पर विचार करना चाहिए था, जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से माना है कि एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा किसी पद पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि उन्हें संबंधित व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया हो।

28. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नंबर 4 अपने एसीआर को डाउनग्रेड नहीं कर सकता था और वह भी उसे बताए बिना, क्योंकि उसने अपीलकर्ता के काम को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। रिपोर्टिंग प्राधिकारी-प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा की गई मूल प्रविष्टियों को बदलकर उत्तरदाताओं के लिए प्रासंगिक अवधियों के लिए उसकी एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ करने का कोई कारण होना चाहिए था। प्रासंगिक अवधि के लिए अपीलकर्ता की एसीआर में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में उन्हें सूचित नहीं किया गया था। यदि एसीआर में कोई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ थीं, तो उसे अपीलकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए था ताकि वह अपनी कमियों में सुधार कर सके या प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध

अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रासंगिक अवधि के लिए एसीआर में दर्ज की गई अनुकूल प्रविष्टियाँ जानबूझकर उत्तरदाताओं द्वारा चयन समिति या डीपीसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं, ताकि अपीलकर्ता को पदोन्नति के लिए विचार न किया जाए और उसे पदोन्नति पद पर पदोन्नत न किया जाए। रिट याचिका में आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय और समीक्षा आवेदन में पारित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा मामले के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए था।

29. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री निखिल नैय्यर ने यह कहते हुए आक्षेपित निर्णय और आदेश को उचित ठहराने की मांग की है कि यह तथ्यों और कानून के आधार पर भी कानूनी और उचित है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका और समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए, इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

30. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि डीपीसी ने अपीलकर्ता के पिछले पांच वर्षों के एसीआर पर विचार किया और संबंधित एसीआर के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंतिम अंकों के आधार पर, पदोन्नति के लिए डीपीसी द्वारा उनके दावे पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वह प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी निर्देश दिनांक 29.12.2000 और

06.09.2001 के अनुसार निर्धारित बेंचमार्क मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे। इसके अलावा, विभाग के प्रमुख ने भी अपीलकर्ता के पक्ष में अपेक्षित सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया।

31. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि इसी तरह के मामले में इस न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के पहले दौर में यानी बलबीर सिंह बेदी (सुप्रा), इस न्यायालय ने श्रेणी I और II अर्थात ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों के विचार के लिए जारी किए गए बेंचमार्क निर्देशों दिनांक 29.12.2000 और 06.09.2001 की वैधता को बरकरार रखा, इसलिए इसे ई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, अपीलकर्ता को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता।

32. इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए अपीलकर्ता की एसीआर में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी, जिसके बारे में उन्हें अवगत कराया जाना आवश्यक था। और उन्हें वर्ष 1999-2000 के लिए अपनी प्रतिकूल एसीआर के बारे में भी पता था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह सही माना गया कि उन रिपोर्टों की सामग्री उसकी जानकारी में थी। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है।

33. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता की ओर से प्रतिवादी नंबर 4 से अपने एसीआर को अपग्रेड करने और इसके परिणामस्वरूप उसे पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नति पद पर पदोन्नत करने का अनुरोध करना सही नहीं था, जो कानून में अनुमति योग्य नहीं है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में उन्होंने देव दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य 4 के मामले पर भरोसा जताया, जिसमें इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को पदोन्नति के लिए उसके दावे पर पूर्वव्यापी प्रभाव से विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया था।

34. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और उनके द्वारा दिए गए तथ्यों और प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद, जिसमें पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित दलीलें भी शामिल हैं और रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर, हम नीचे उल्लिखित कारणों को बताते हुए गुण-दोष के आधार पर इस अपील में निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं।

35. जिला कमांडेंट के पद से बटालियन कमांडर के पद पर अपीलकर्ता की पदोन्नति नियमों के नियम 8(1)(2)(i) द्वारा शासित होती है। उपरोक्त नियम इस बात पर विचार करता है कि बटालियन कमांडर के 75% पदोन्नति पद बटालियन के दूसरे कमांड में पदोन्नति द्वारा भरे

जाएंगे। बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए कानूनी आवश्यकता यह है कि दावेदार को 8 साल की अवधि के लिए जिला कमांडेंट के रूप में काम करना चाहिए और उक्त पदोन्नति पद पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 06.09.2001 को जारी पंजाब राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, क्लास-I और क्लास-II, समूह 'ए' और 'बी' पदों पर पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए डीपीसी के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, एक योग्य उम्मीदवार को वरिष्ठता:.सह-योग्यता मानदंड के आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जहां योग्यता अधिकारी के एसीआर में निहित विभिन्न पहलुओं को दिए गए बेंचमार्क के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें संबंधित अवधि के लिए संबंधित अधिकारियों की एसीआर में की गई ऐसी प्रविष्टियों के विरुद्ध अंक दिए जाते हैं।

36. इसके अलावा, अपीलकर्ता द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत प्रतिवादियों से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए उसके दावे पर पहली बार विचार किया गया था, वर्ष 1996 से उसके एसी रुपये पर विचार किया गया था। निर्देश दिनांक 29.12.2000 प्रासंगिक अवधि के लिए अपीलकर्ता के एसी रुपये पर

संभावित रूप से लागू होंगे जो उन निर्देशों के जारी होने के बाद तैयार किए गए थे। निर्देशों के अनुसार, कुल 20 अंकों में से 0-14 अंक प्राप्त करने वाले अधिकारियों को 'अच्छा' ग्रेड दिया जाएगा। इस प्रकार, अपीलकर्ता पदोन्नति का हकदार था क्योंकि उसे डीपीसी की कार्यवाही के अनुसार 10 अंक दिए गए थे।

37. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले में आगे कहा कि अंतिम रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने उपरोक्त प्रासंगिक अवधि के लिए अपीलकर्ता को 'औसत' अधिकारी के रूप में पदावनत कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश दिनांक 10.01.1985 के अनुसार, कमांडेंट जनरल जिला कमांडर के पद के लिए अंतिम प्राधिकारी है। यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा उपरोक्त प्रासंगिक अवधि के लिए अपने एसीआर में अपीलकर्ता के प्रदर्शन को डाउनग्रेड करना वैध नहीं था क्योंकि यह बिना किसी अधिकार और क्षमता के किया गया था। एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों ने अपीलकर्ता को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति के अधिकार से वंचित कर दिया है और इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ एसीआर में उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियां कानूनी और वैध नहीं हैं। 2000-2001 की अवधि के लिए एसीआर यहां निकाला गया है:

1	अखंडता	सही
2	आचरण	बहुत अच्छा

3	स्वास्थ्य एवं सक्रियता	बहुत अच्छा
4	व्यक्तित्व और पहल	बहुत अच्छा
5	ज्ञान और बुद्धि	बहुत अच्छा
6	निर्भरता/विश्वसनीयता	पूरी तरह से भरोसेमंद
7	आदेश देने की शक्ति	बहुत अच्छा
8	परेड में दक्षता	सही
9	भ्रष्ट अधीनस्थों को बेनकाब करने का नैतिक साहस एवं दक्षता	बहुत अच्छा
10	निष्पक्षता	निष्पक्ष
11	अंग्रेजी का ज्ञान	बहुत अच्छा
12	पंजाबी और हिंदी का ज्ञान और इन भाषाओं में ड्राफ्ट बनाने का ज्ञान	बहुत अच्छा
13	सिविल नियमों और विनियमों, होम गार्ड अधिनियम, प्रशासन, निर्देशों और परिपत्रों का ज्ञान	बहुत अच्छा
14	एक दूसरे के साथ व्यवहार और कार्य करना	बहुत अच्छा

15	दोष, यदि कोई हो, क्या उसके संज्ञान में लाया गया है	लागू नहीं
16	क्या पदोन्नति के लिए उपयुक्त है	अपने कार्यकाल में
17	क्या वह अपना काम पंजाबी में निपटाता है	हाँ
18	सामान्य टिप्पणी	वह बहुत अच्छे और जिम्मेदार अधिकारी हैं.

2000-2001 की अवधि के लिए एसीआर के अवलोकन से पता चलता है कि हालांकि सामान्य टिप्पणियों में कहा गया था कि "वह बहुत अच्छे और जिम्मेदार अधिकारी हैं" प्रतिवादी नंबर 4 ने एक ग्रेड दिया था जिसमें लिखा था, "मैं सहमत हूं, एक औसत अधिकारी"। उक्त प्रविष्टि से पता चलता है कि वह सक्षम स्वीकार्य प्राधिकारी द्वारा उस वर्ष के लिए कॉलम 1 से 18 के संबंध में दी गई एसीआर की सभी टिप्पणियों से सहमत था, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की प्रतिकूल प्रविष्टियाँ करने की उनकी क्षमता के अलावा कोई भी कारण बताए बिना उन्होंने अधिकारी का मूल्यांकन 'औसत' अधिकारी के रूप में किया। एसीआर की समग्र ग्रेडिंग रिपोर्टिंग प्राधिकारी, समीक्षा प्राधिकारी और अंतिम स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर आधारित है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा की गई प्रविष्टियों के अनुसार, वह स्वीकारकर्ता प्राधिकारी

द्वारा दी गई समग्र ग्रेडिंग के लिए सहमत था। ऐसे में वह 'एक औसत अधिकारी' शब्द का इस्तेमाल कर एसीआर में समग्र ग्रेडिंग को कम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, यदि वर्ष 2000-2001 के लिए एसीआर पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 20.05.2004 को की गई टिप्पणियों में अपीलकर्ता को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति से इनकार करने के रुख को उचित ठहराया जा रहा है, तो स्पष्टीकरण उस तिथि, यानी 20.05.2004 से प्रभावी होना चाहिए। ऐसे मामले में, अपीलकर्ता को वर्ष 2003 के निर्देशों के अनुसार 3 अंक दिए जाने थे, जब उसे पहली बार पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया गया था।

38. 2003-2004 की अवधि के लिए एसीआर की प्रति का अवलोकन अपीलकर्ता के खिलाफ किए गए अन्याय की सच्ची तस्वीर दर्शाता है। एसीआर श्री तेजिंदर सिंह, प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा लिखा गया है जो डिवीजनल कमांडेंट के रूप में रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे। वही अधिकारी डिप्टी कमांडेंट जनरल के रूप में समीक्षा प्राधिकारी भी थे। इसके अलावा, वही अधिकारी कमांडेंट जनरल के रूप में अंतिम स्वीकार्य प्राधिकारी भी था, जैसा कि 30.09.2004 की उनकी टिप्पणी से स्पष्ट है। तथ्य यह है कि उक्त वर्ष में भी अपीलकर्ता के प्रदर्शन को 'औसत' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 1-4 के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है कि उसने जानबूझकर अपीलकर्ता को प्रश्नगत पद पर पदोन्नति

से वंचित कर दिया। स्वयं उत्तरदाताओं के अनुसार, दिनांक 06.09.2001 के कार्यकारी निर्देशों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य निर्देश या नियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। यदि प्रासंगिक अवधि के लिए एसीआर में इन अवैध डाउनग्रेडिंग प्रविष्टियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो अपीलकर्ता को 14 अंक प्राप्त होंगे। दिनांक 06.09.2001 के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार पद पर पदोन्नति के लिए 12 अंक आवश्यक थे।

39. इसके अलावा, 1999-2000 की अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों को डी.जी.पी.-कम-कमांडेंट जनरल द्वारा दिनांक 28.06.2000 के संचार के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.08.2000 और 25.08.2000 को दिए गए अभ्यावेदन को प्रतिवादी संख्या 4 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त अभ्यावेदन 07.05.2001 को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने सिविल सूट नंबर 70/2001 दायर करके इसे चुनौती दी थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 को प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में शामिल किया गया था। अपीलकर्ता के पक्ष में 15.03.2002 को सिविल सूट का फैसला सुनाया गया था। अपीलार्थी के पक्ष में पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री को अंतिम निर्णय प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादी क्रमांक 4 एवं 5 द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है, जो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नियमों के नियम 8(2) के तहत

प्रतिवादी नंबर 4 को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करना उचित नहीं था। नियमों के मुताबिक प्रमोशनल पद पर नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएगी. रिकॉर्ड पर रखे गए एसीआर के अनुसार, अपीलकर्ता ने एसीआर में दर्ज सभी पहलुओं के संबंध में निर्देशों के अनुसार, 14 अंक हासिल करके वरिष्ठता-सह-योग्यता की उपरोक्त आवश्यकता को पूरा किया है। प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर मजबूत निर्भरता, जिसने बिना कोई कारण बताए ऐसा किया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को पदोन्नति लाभ से वंचित कर दिया गया है। भले ही प्रतिवादी संख्या 4 के आदेश को सिविल सूट संख्या 70/2001 में निर्णय और डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता को प्रमोशनल लाभ से वंचित करने में प्रतिवादी नंबर 4 की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित है। रिकॉर्ड से यह भी देखा जा सकता है कि यह प्रतिवादी नंबर 7 ही था जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका कार्यवाही में सभी उत्तरदाताओं की ओर से जवाब दाखिल किया था। इस स्तर पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 7 अपीलकर्ता से कनिष्ठ अधिकारी है, जिसे प्रश्नगत पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों का लिखित बयान दाखिल न करना प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करता है। इसलिए, अपीलकर्ता को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति लाभ से इनकार करने का प्रतिवादी नंबर 4 के लिए कोई

औचित्य नहीं था। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुखदेव सिंह (सुप्रा) के मामले पर सही भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय ने एसीआर के संचार से संबंधित कानून को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। यह माना गया कि यदि संबंधित अधिकारी की एसीआर का उपयोग पदोन्नति से इनकार करने के उद्देश्य से किया जाना है, तो ऐसी सभी एसीआर उसे सूचित की जानी चाहिए, ताकि वह एसीआर में की गई अपनी प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व कर सके।

40. उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, अपीलकर्ता को वर्ष 2001-2002 के लिए ग्रेड 'ए+' दिया गया था, लेकिन केवल 1 अंक दिया गया था। कार्यकारी निर्देशों के अनुसार, ग्रेड 'ए+' को 4 अंक दिए जाने हैं। तदनुसार, यदि 2001-2002 की अवधि के लिए अपीलकर्ता की एसीआर के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, तो वर्ष 2003 में पदोन्नति के लिए विचार के समय उसे 12 अंक मिले होंगे, जबकि स्वीकार्य रूप से, अपीलकर्ता को बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नत होने के लिए केवल 10 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसलिए, यदि अपीलकर्ता की एसीआर में विभिन्न पहलुओं पर उत्तरदाताओं द्वारा किए गए अंकों की गणना को सही माना जाता है, तो उसने आवश्यक बेंचमार्क भी हासिल कर लिया है। अपीलकर्ता के दावे को जानबूझकर नजरअंदाज करने में प्रतिवादी नंबर 4 की कार्रवाई कानून की दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि यह प्रासंगिक अवधि के

लिए एसीआर के नियमों और रिकॉर्ड और राज्य सरकार द्वारा कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करने वाले निर्देशों के विपरीत है।

41. इसलिए, अपीलकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने का आदेश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और रिट याचिका और समीक्षा आवेदन में पारित आदेश में की है, रद्द किए जाने योग्य है।

42. ऊपर बताए गए कारणों से, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:-

(1) हम सिविल रिट याचिका और दोनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं, समीक्षा आवेदन और प्रतिवादी-विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 तक बटालियन कमांडर के पद पर पदोन्नति लाभ से इनकार करने का आदेश भी;

(2) इसके अलावा, हम प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 तक को विवादास्पद तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर दर्ज हमारे निष्कर्षों और कारणों के आलोक में अपीलकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हैं ताकि उन्हें पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए बटालियन कमांडर का उच्च पद मिल सकता है क्योंकि वह 31.7.2007 को समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं; और

(3) इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर उक्त निर्देश का अनुपालन किया जाएगा और उसके पेंशन लाभ और अन्य मौद्रिक लाभों को तय करने के उद्देश्य से सभी परिणामी लाभों का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार है और इस न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

43. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलकर्ता को देय 10,000/- रुपये की लागत के साथ उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपील की अनुमति.

(यह अनुवाद एआई टूल: सुवास की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।